प्रेस विज्ञप्ति
04.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मदुरै उप-आंचलिक कार्यालय ने मादक पदार्थों, अर्थात् मेथामफेटामाइन और गांजा की अवैध तस्करी से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 03.09.2026 को तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित 06 आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी द्वारा जांच की शुरुआत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), चेन्नई आंचलिक इकाई द्वारा मेथामफेटामाइन और गांजा जैसे मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के संबंध में ईसी एवं एनडीपीएस अधिनियम मामलों के माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष दायर शिकायत के आधार पर की गई थी।

अपनी जांच के दौरान, एनसीबी ने 13.04.2025 को नागपट्टिनम के विलुंडामावडी निवासी एम. एलेक्स को मेलाविलाकुडी में पुडुकोट्टई-मदुरै रोड पर भारती नगर के निकट मेथामफेटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ले जाते हुए पकड़ा और पाया कि एम. एलेक्स बार-बार अपराध करने वाला व्यक्ति है। वह और उसके पिता महालिंगम, मेथामफेटामाइन और गांजा की तस्करी के संबंध में वर्ष 2023 और 2024 के दौरान तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न अन्य एफआईआर में आरोपी थे।

ईडी की जांच में पता चला कि एम. एलेक्स ने गांजा और मेथामफेटामाइन की तस्करी के माध्यम से पर्याप्त अवैध आय अर्जित की थी। मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न अपराध से अर्जित आय को नागपट्टिनम, वेलांकन्नी और थलियामाडी में स्थित अनेक अचल संपत्तियों, झींगा पालन फार्मों तथा वाहनों जैसी चल संपत्तियों के अधिग्रहण में निवेश किया गया। इन संपत्तियों का अधिग्रहण एम. एलेक्स और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर किया गया था। जांच में आगे पता चला कि अपराध से अर्जित आय को एम. एलेक्स के परिवार के सदस्यों और तीसरे पक्ष के व्यक्तियों के बैंक खातों के माध्यम से लेयरिंग की गई। परिवार के सदस्यों और अन्य तीसरे पक्ष के सहयोगियों के नाम पर ऋण लिए गए, जिन्हें बाद में अपराध से अर्जित आय से नकद में चुकाया गया और कुछ अन्य संस्थाओं के माध्यम से रूट किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान आरोपियों द्वारा किए गए मौद्रिक लेन-देन और अचल संपत्तियों में किए गए निवेश से संबंधित विभिन्न डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।